न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

63 सावित्री देवी वगैरह .... बनाम सन्तोष महतो उर्फ वरूण महतो वगैरह

क्र० / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं0–एम 48 / 2018 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी सोनाहातु (स्टे कनी ०/०) के अप्राथमिकी सं0–12/18 दिनांक–2-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि प्रथम पक्ष के घर मे मुर्गी घुसने के कारण विवाद को लेकर उभय पक्ष मे तनाव है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 25-5-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। [हस्ताक्षर] 7/5/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
25-05-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक 11-06-18 को रखें। [हस्ताक्षर] 25/5/18	

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	हाजरी द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित क्रमांक 02, 03 अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष गवाही हेतु गवाह उपस्थित करें। प्रथम पक्ष गवाही हेतु दिनांक 19-11-18 को रखे।
	21/10/18
19-11-18	उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा हाजरी दी गई। का०दण्डा० अन्य कार्य में व्यस्त। अगली तिथि 07-12-18 को।
07-12-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 02 उपस्थित क्रमांक 01, 03 अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है फलस्वरूप वाद कालबाधित हो गया है अतः वाद में अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।
	07/12/18

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:39:11 +05:30
Location: 192.168.43.107